प्रेस विज्ञप्ति

जनपद संत रविदासनगर (भदोही)

दिनांक: 12.11.2026

भदोही पुलिस की इस वर्ष बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण सामग्री (CSAM) के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाकर बड़ी कार्यवाही 07 अभियुक्त गिरफ्तार, 07 अभियोग पंजीकृत

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा एवं साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए भदोही पुलिस प्रतिबद्ध।

◆ पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिनव त्यागी के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक भदोही श्री शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में साइबर सेल भदोही एवं जनपदीय पुलिस द्वारा NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) की साइबर टिपलाइन रिपोर्टों के आधार पर विशेष अभियान चलाकर विभिन्न थानों में कुल 07 अभियोग पंजीकृत करते हुए 07 अभियुक्तों (06 पुरुष एवं 01 महिला) को गिरफ्तार किया गया।

◆ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर एवं टेलीग्राम पर फर्जी आईडी एवं चैट ग्रुप बनाकर बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक एवं यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material – CSAM) का संग्रहण, अपलोडिंग, आदान-प्रदान एवं प्रसारण करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की गई।

◆ गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन एवं फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए। डिजिटल साक्ष्यों एवं सोशल मीडिया अकाउंट की जांच के आधार पर अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई।

◆ NCMEC से प्राप्त साइबर टिपलाइन रिपोर्टों का तकनीकी विश्लेषण कर संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट, डिजिटल गतिविधियों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच के माध्यम से अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।

1.अभियान एवं कार्रवाई का विस्तृत विवरण

पुलिस अधीक्षक भदोही श्री अभिनव त्यागी के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक भदोही श्री शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण सामग्री के प्रसार एवं अन्य साइबर अपराधों के विरुद्ध ऑपरेशन सुरक्षा के तहत विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत साइबर सेल भदोही द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्टों का तकनीकी विश्लेषण कर संबंधित थाना पुलिस के साथ समन्वय स्थापित किया गया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए कुल 07 अभियोग पंजीकृत कर 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना-वार की गई कार्रवाई का विवरण निम्नवत है–

1.थाना ज्ञानपुर एवं साइबर सेल भदोही

(दिनांक 18.07.2026 | कुल 02 अभियोग)

गृह मंत्रालय के I4C के माध्यम से प्राप्त NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दुलहीपुर तिराहा एवं गजधरा पुलिया, कसियापुर रोड के पास घेराबंदी कर अभियुक्त शशिपाल सिंह एवं वांछित अभियुक्ता मनीता यादव को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ एवं जांच में प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा 'सिमरन पंजाबी' नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर चैट ग्रुप के माध्यम से बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के आदान-प्रदान सहित अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

बरामदगी: एक रेडमी मोबाइल फोन एवं दो आधार कार्ड।

2.थाना भदोही एवं साइबर सेल भदोही

(दिनांक 23/24.09.2026 | कुल 01 अभियोग)

गृह मंत्रालय के I4C के माध्यम से प्राप्त NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्ट संख्या 236318071 के आधार पर थाना भदोही में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए विश्वकर्मा मंदिर, फत्तूपुर दरगाह (भदोही-सुरियावां रोड) के पास घेराबंदी कर वांछित अभियुक्त सुजीत कुमार मौर्या को गिरफ्तार किया गया।

3.थाना गोपीगंज एवं साइबर सेल भदोही

(दिनांक 17.10.2026 | कुल 01 अभियोग)

NCMEC साइबर टिपलाइन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गोपीगंज रेलवे स्टेशन के पास से वांछित अभियुक्त फैयाज अली को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से ट्रेन पकड़कर भागने का प्रयास कर रहा था।

अभियुक्त के कब्जे से बरामद सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल फोन की जांच में इंस्टाग्राम अकाउंट एवं डिजिटल फाइलों से बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई।

बरामदगी: एक सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल फोन।

4.थाना कोईरौना एवं साइबर सेल भदोही

(दिनांक 10.11.2026 | कुल 01 अभियोग)

NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर की गई जांच में प्रकाश में आया कि अभियुक्त गौरव मिश्रा द्वारा टेलीग्राम एप पर अनेक ग्रुप बनाकर बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक एवं यौन शोषण सामग्री का संग्रहण एवं प्रसारण किया जा रहा था।

विवेचना एवं क्षेत्रीय जांच के क्रम में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी: घटना में प्रयुक्त एक रेडमी (XIAOMI 15) मोबाइल फोन।

5.थाना औराई एवं साइबर सेल भदोही

(कुल 02 अभियोग)

साइबर सेल भदोही से प्राप्त NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्ट संख्या 234801888 एवं 236505354 के आधार पर थाना औराई में दो अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किए गए।

जांच में इंस्टाग्राम एवं मैसेंजर ग्रुप के माध्यम से बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक एवं यौन शोषण सामग्री अपलोड एवं साझा किए जाने के मामले प्रकाश में आए। पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए संबंधित अभियुक्तों नबील हयात अंसारी एवं सुहेल को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई।

2.NCMEC की भूमिका एवं साइबर अपराधों में उपयोगिता

NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) बच्चों की सुरक्षा एवं उनके ऑनलाइन यौन शोषण से संबंधित मामलों में कार्यरत एक गैर-लाभकारी संस्था है।

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय के माध्यम से बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण सामग्री की रिपोर्टों पर कार्रवाई की जाती है।

NCMEC की साइबर टिपलाइन पर प्राप्त रिपोर्टों में जब भारत से संबंधित IP Address, सोशल मीडिया अकाउंट अथवा अन्य डिजिटल गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध होती है, तो संबंधित सूचनाएं निर्धारित समन्वय व्यवस्था के माध्यम से I4C/NCRB एवं संबंधित राज्य की पुलिस एजेंसियों तक पहुंचती हैं।

प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर पुलिस द्वारा तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्य संकलन, सोशल मीडिया अकाउंट एवं संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करते हुए आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाती है।

3.साइबर सेल भदोही की महत्वपूर्ण भूमिका

इस विशेष अभियान में साइबर सेल भदोही द्वारा NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्टों का तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल साक्ष्यों का संकलन, सोशल मीडिया अकाउंट की जांच एवं संबंधित थाना पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

साइबर सेल टीम का विशेष योगदान:

1.निरीक्षक श्री विजय गुप्ता - साइबर सेल टीम का नेतृत्व एवं अभियान के अंतर्गत की गई कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका।

2.आरक्षी कन्हैया कुमार सिंह - NCMEC साइबर टिपलाइन रिपोर्टों का तकनीकी विश्लेषण, सोशल मीडिया अकाउंट एवं डिजिटल साक्ष्यों की जांच, संदिग्धों की पहचान तथा अभियुक्तों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया।

साइबर सेल भदोही एवं जनपदीय पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से बच्चों से संबंधित ऑनलाइन यौन शोषण सामग्री के संकलन एवं प्रसारण में संलिप्त 07 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

4.भदोही पुलिस की अपील

भदोही पुलिस आमजन से अपील करती है कि बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, अश्लील अथवा यौन शोषण सामग्री को डाउनलोड, संग्रहित, साझा या प्रसारित न करें। इस प्रकार की सामग्री का प्रसार गंभीर दंडनीय अपराध है।

अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति सतर्क रहें तथा उन्हें सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग के संबंध में जागरूक करें।

किसी भी संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट, चैट ग्रुप अथवा साइबर अपराध की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।